न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ललित कुमरी गुप्ता, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 19/2017

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्टस**

1. भगवानसिंह पुत्र हजारी सिंह, जाति माली, निवासी, रूपावतों का बेरा, सूरसागर, तहसील व जिला, जोधपुर।

1. माणक सिंह सुरजमल के कायम मुकाम
   1/1 राजन्द्र कुमार पुत्र माणकसिंह
   1/2 श्रीमती साहनी देवी पत्नी माणकसिंह
   1/3श्रीमती मधु पत्नी संजय पुत्र माणकसिंह
   1/4 वैभव पुत्र संजय पुत्र माणकसिंह
   1/5 वरूण पुत्र संजय पुत्र माणकसिंह
   सभी जाति माली गेहलोत निवासीगण रूपावतों का बास सुरसागर, तहसील, जोधपुर।
   1/6 श्रीमती चान्द पुत्री माणक सिंह पत्नि श्री विष्णु कच्छवाह जाति माली निवसी सीताराम बिल्डिंग पब्लि पार्क के पास उदयमंन्दिर जोधपुर।
   1/7श्रीमती जयलक्ष्मी परिहार पुत्र श्री माणकसिंह पत्नी श्री राकेश परिहार जाति माली, निवासी परिहार सदन खत्रीपुरा नागौर, तहसील जोधपुर।
2. सोहनी देवी पत्नी माणक सिंह जाति माली गहलोत, निवासी, रूपावतों का बास, सूरसागर, तहसील व जिला जोधपुर हाल निवासी भरकाली भाखरी माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीदार, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
दिनांक 16.1.2017 द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर, जोधपुर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 14/2016 जिसके द्वारा उन्होने तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 18.4.2016 बाबत माणकलाव के खसरा संख्या 229 रकबा 99 बीघा 4 बिस्वा का सीमाकंन करने के विरूद्ध अपील को खारीज कर दिया।

उपस्थितिः–

1. श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. श्री जयदेव सिंह चारण रेस्पो. सं. 1/1 से 1/7 व 2 की ओर से उपस्थित ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 9.10.2018

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट सोहनी देवी व माणक सिंह ने एक प्रार्थना पत्र अपने खेत खसरा संख्या 229 ग्राम माणकलाव का सीमांकन करने का अनुरोध किया। जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने आदेश दिनां 18.4.2016 के द्वारा नायब तहसीलदार, आर.आई. हल्का पटवारी माण्कलाव को सीमांकन करने एवं मौका रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाने प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम श्रीमान जिला कलक्टर, जालोर के समक्ष प्रस्तुत की थी। जिला कलेक्टर, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 16.1.2017 के विवेचन मे उल्लेखित किया है कि तहसीलदार जोधपुर ने प्रत्यर्थीपक्ष के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 99.04 बीघा भूमि का ही सीमांकन कार्यवाही कर मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। एक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करना चाहता है तो अपीलार्थीपक्ष को आपत्ति नही होनी चाहिए। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील श्रीमान के समक्ष पेश की है।

हमने उपस्थित अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ताअें की बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि ग्राम माणकलाव तहसील जोधपुर की पैतृक भूमि खेत खसरा नं. 228 जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे रकबा 87 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज है परन्तु मौके पर 95 बीघा 7 बिस्वा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 के खसरा संख्या 229 जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे 99.4 बीघा है परन्तु मौके पर 75 बीघा है, जो खरीद की हुई है। खसरा संख्या 229 एवं 228 पर कब्जे के अनुसार पिछले साठ सालों से माठे कायम है जिस पर पत्थरों की दीवार व तारबंदी

की हुई है। रेस्पोडेन्टस जिस स्थान पर खसरा सख्यां 229 की जमीन होना बता रहे है, वहां पर अपीलान्ट का रहवासी मकान, दो नलकूप, बिजली कनेक्शन, पानी का होद बना हुआ है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त विवादित भूमि बाबत रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्ट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धारा 183 के तहत बेदखली का वाद प्रस्तुत किया है। तथा अपीलान्ट ने धारा 88,188 के तहत घोषणा का दावा प्रस्तुत कर रखा है, जिसमे मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थित के आदेश है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा कई वर्षो से होने प्रभावित पक्षकार है, इसके बावजूद अपीलान्ट को एवं 229 के अन्य पडौसी खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा बिना किसी जांच रिपोर्ट के सीमांकन का आदेश दे दिया। आदेश होने के पश्चात अपीलान्ट को प्रति दी गयी तथा जिला कलेक्टर, जोधपुर ने भी उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया,जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

यह है कि तहसीलदार को दो खातेदारों के बीच सीमा का विवाद के बारे मे इस प्रकार के आदेश देने का अधिकारी नही है। सीमा विवाद के बारे मे सुनवाई करने का अधिकार केवल उपखण्ड अधिकारी को है। इस बिन्दु पर गोर किये बिना अपील खारिज करने मे जिला कलेक्टर द्वारा गम्भीर विधिक त्रुटि की है।

यह है कि मूल नक्शा ट्रेस जिसके आधार पर नाप एवं सीमांन किया जाता है वह कटा फटा होने से उसके आधार पर सीमांकन किया ही नही जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि का नाप कराने के लिये सेटलमेन्ट से नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन उन्होने नक्शा कटा फटा होने से प्रतिलिपि देने से मना कर दिया। अतः बिना सही नक्शे के सीमांकन का आदेश देने मे तहसीलदार द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। इस तथ्य पर गौर नही करने मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गयी है।

यह है कि समान पक्षकारों के मध्य एक ही वादग्रस्त भूमि बाबत दावा विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश प्रभावी हो तो ऐसी स्थिति प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थर्ना पत्र/अपील मे किसी प्रकार निर्णय लिया जाना न्यायोचित नही होगा। अंततः दावे मे जो निर्णय होगा वही मान्य होगा।

उपस्थित रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सोहनी देवी व माणक सिंह ने एक प्रार्थना पत्र अपने खेत खसरा संख्या 229 ग्राम माणकलाव का सीमांकन करने का अनुरोध किया। जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने आदेश दिनां 18.4.2016 के द्वारा नायब तहसीलदार, आर.आई. हल्का पटवारी माण्कलाव को सीमांकन करने एवं मौका रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये। थी। जिसकी प्रथम अपील अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिला कलेक्टर, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 16.1.2017 के विवेचन मे

उल्लेखित किया है कि तहसीलदार जोधपुर ने प्रत्यर्थीपक्ष के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 99.04 बीघा भूमि का ही सीमांकन कार्यवाही कर मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। एक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करना चाहता है तो अपीलार्थीपक्ष को आपत्ति नही होनी चाहिए। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की गयी। उक्त अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से यथावत रखा जावे।

यह है कि अपीलान्ट की भूमि खेत खसरा संख्या 229 का रकबा 99.04 है जिस के कुछ भाग पर अपीलान्ट ने कब्जा कर रखा है, इसलिए तहसीलदार के समक्ष सीमांकन का प्रार्थना प्रस्तुत किया तथा अपीलान्ट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष धारा 183 के तहत बेदखली का दावा प्रस्तुत किया। सीमांकन होने से बेदखली के दावे को निस्तारण करने मे सहायक सिद्ध होगा। वैसे भी बेदखली के दावे एवं घोषणात्मक के निस्तारण से पूर्व मौका एवं सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। अतः अपीलान्ट का यह कहना कि दावा विचाराधीन होने से सीमांकन की कार्यवाही नही की जा सकती, उक्त तथ्य सारहीन है। अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। जिससे पाया गया कि प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी खेत का सीमांकन करने का अधिकार है। सीमांकन के आधार पर यदि कोई विवाद है तो वह सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षैत्र मे है। दोनों पक्षों के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित वाद विचाराधीन है, जिसमे दोनों पक्षों की साक्ष्य आदि लेकर निर्णय होगा। ऐसी स्थिति मे इस प्रकरण मे प्रथम अपील के विद्वान जिला कलेक्टर ने जो अभिमत व्यक्त किया है, उसमे किसी प्रकार की त्रुटि नजर नही आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 9.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,जोधपुर